


दिनांक 10-10-2019

आज पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद को चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
महवा (जिला दौसा)